नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार कांड की पीड़िता के पिता की उस याचिका पर आज केंद्र को नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि एक आरोपी के किशोर वय का होने या नहीं होने की बात आपराधिक अदालत द्वारा तय किए जाने की जरूरत है न कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा।

न्यायमूर्ति बी एस चौहान की अगुवाई वाली पीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को चार सप्ताह के अंदर इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा कि जघन्य मामलों में शामिल ‘अपराधी के नाबालिग होने’ की बात को तय कैसे किया जाए।

पीठ ने सभी रिकार्ड भी मांगे हैं जिनकी वजह से किशोर अपराधी का नाम इस सनसनीखेज मामले में आया। उन रिकार्ड में पीड़िता का बयान भी शामिल है।

पीड़िता के पिता ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर उससे उस आरोपी के खिलाफ आपराधिक अदालत द्वारा सुनवाई कराने की मांग की है जो तब (अपराध के समय) नाबालिग था। पीड़िता के पिता ने इसके लिए उस कानून को खारिज करने की मांग की जो किशोरों पर ऐसे अभियोजन चलाने पर रोक लगाता है।

घटना के समय किशोर की उम्र 18 साल पूरे होने में छह महीने बाकी थी। उसे 23 साल की लड़की से सामूहिक बलात्कार एवं उसकी हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया, लेकिन उसे किशोर न्याय बोर्ड से किशोर कानून के तहत महज तीन साल की कैद की सजा ही मिली है जो इस कानून में अधिकतम सजा है।

जब 31 अगस्त को बोर्ड का फैसला आया था तभी पीड़िता के पिता ने कहा था कि उनके परिवार को यह फैसला मंजूर नहीं है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है और कहा है कि वे (उनका परिवार) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं रक्षा) अधिनियम, 2000 को चुनौती दे रहे हैं, चूंकि ऐसा कोई संबंधित प्राधिकार नहीं है जहां वे ऐसी राहत के लिए संपर्क करते, अतएव उन्होंने यह कदम उठाया है।

उन्होंने उस स्थिति में इस कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग की है जब यह कानून भादसं के अंतर्गत किए जाने वाले अपराधों के लिए किशोर अपराधियों पर सुनवाई करने से आपराधिक न्यायालय को वंचित करता है।

उन्होंने वकील अमन हगिोरानी के माध्यम से यह याचकि दायर की है □

याचकि में नचिली अदालत के उस फैसले का हवाला दयिा गया है जसिमें चार बालगि आरोपयिों को दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड सुनाया गया□ याचकि में कशिोर अपराधी पर भी ऐसी ही सुनवाई की मांग की गई है जो अब बालगि हो गया है□

याचकि में कहा गया है, ''□ क आरोपी (प्रतविादी नंबर 2 कशिोर) पर इस आधार पर आपराधकि अदालत में भारतीय दंड संहतिा में की□ ग□ अपराधों के ल□ सुनवाई नहीं की गई कि वह कशिोर है और 17 साल का है□ ''

याचकि में केंद्र और आरोपी को प्रतविादी बनाया गया है□

उल्लेखनीय है कि 16 दसिंबर, 2012 की रात को चलती बस में छह व्यक्तयिों ने 23 साल की ल□ की से सामूहकि बलात्कार कयिा और उसके साथ नृशंसता की□ इन छह व्यक्तयिों में यह कशिोर भी शामलि था, जसि पर कशिोर न्याय बोर्ड ने सुनवाई की□

ल□ की ने 29 दसिंबर को सगिापुर के□ क अस्पताल में दम तो□ दयिा□

□ कत्वरति अदालत ने चार बालगि आरोपयिों की सुनवाई की और उन्हें मृत्युदंड सुनाया□ अब यह सजा सत्यापन के ल□ दल्लिी उच्च नयायालय के समक्ष है□

□ क आरोपी-राम सहि 11 मार्च को तहिा□ जेल में अपनी कोठरी में मृत मलिा था और उसके खलिाफ सुनवाई रोक दी गई थी□

(भाषा)